राजस्थान सरकार

अधीक्षक, मानसिक विंमदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह
केम्वे गोल्फ के सामने, आगरा रोड, जामडोली, जयपुर

क्रमांक **दिनांक**

खुली निविदा सूचना संख्या –6/2016–17

राज्यपाल महोदय की और से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में आवासियों के लिये निम्न सेवाओं के लियें फर्म/ एजेन्सी/कम्पनी से मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	सेवा का विवरण	अवधि	अनुमानित लागत	बयाना राशि	निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अन्तिम तिथि	भरे हुए निविदा प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
1	आवासियों हेतु व्यावसायिक विशेषज्ञों की सेवाये देने बाबत निविदा ।	एक वर्ष	1500000/–	30000/–	10.08.2016 को सांय 4:00 बजे तक	11.08.2016 को 1.00 बजे तक	11.08.2016 का 2.00 PM

निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट **sppp.rajasthan.gov.in** एवं विभागीय वेबसाइट **sje.rajasthan.gov.in** एवं कार्यालय समय में कार्यालय में देखा जा सकता है।

निविदा प्रपत्र 400/– नकद जमा करा कर कार्यालय समय में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 10.08.2016 को 4.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

नोटः–1. एक बार जमा कराया गया निविदा शुल्क लौटाया नही जायेगा।

2. यदि निविदा प्रपत्र वेबसाइड से डाउन लोड किया जाता है तो निविदा प्रपत्र का भुगतान किसी भी शिड्यूल बैंक द्वारा जारी किया गया ड्रि.ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैंक द्वारा जो कि अधीक्षक मानसिक विमंदित गृह जामडोली जयपुर के पक्ष में देय हो।

अधीक्षक

क्रमांक 778-84 दिनांकः–22/07/2016

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,राजस्थान जयपुर को 5 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि निविदा को राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र जिसका परिचालन 50,000 प्रतियां और उससे अधिक हो एवं एक क्षैत्रीय दैनिक समाचार पत्र में नियमानुसार तत्काल प्रकाशित करावें।
2. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय, विशेष योग्यजन
3. नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु कार्यालय **SJE/SAP**/जिला कार्यालय कलेक्टर जयपुर।
4. कार्यालय नोटिस बोर्ड
5. ACP सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेज कर लेख है कि विभागीय वेबसाईड **sje.rajasthan.gov.in** ,अपलोड करवाने का श्रम करें।
6. सूचना सहायक निदेशालय विशेष योग्यन जयपुर को sppp.rajasthan.gov.in पर अप लोड करवायें।

22/7/16
अधीक्षक

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
विशेष योग्यजन विभाग, केम्वे गोल्फ के सामने, जामडोली, जयपुर
निविदा प्रपत्र – तकनीकी बिड (स्टेज–I)

1. विषयः व्यावसायिक विशेषज्ञों की सेवाये देने बाबत निविदा ।
2. निविदा करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का पता...
3. निविदा फर्म/ संवेदक का फोन एवं मोबाईल नं...
4. ईमेल एड्रेस...
5. सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक–.6/2016–17 दिनांक ....
6. निविदा शुल्क की राशि 400/– अक्षरे चार सौ मात्र (रसीद संख्या)/ डी.डी./बैंकर्स चैंक नम्बर.................... ....दिनांक......................के द्वारा जमा करा दी गयी है।
7. हम **अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह, विशेष योग्यजन विभाग, जामडोली जयपुर** द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या **6/2016–17** दिनांक.......................में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। (इनके सभी पृष्टों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है)
8. संलग्न प्रमाण पत्रो का विवरण (तकनीकी निविदा के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जाने है)

क्र. सं.	प्रमाण पत्र का प्रकार	हॉं या ना	जारी होने की तिथि/ वैद्यता/ बैंक का विवरण
1.	बयाना राशि (अर्नेस्टमनी) का विवरण		
2	श्रम विभाग पंजीयन प्रमाण पत्र		
3	सर्विस टैक्स का पंजीयन प्रमाण पत्र		
4	वित्तीय क्षमता संबंधित प्रमाण पत्र (निविदा शर्त 12 के अनुसार)		
5	आयकर खाता संख्या का उल्लेख		
6	परिशिष्ठ–द' घौषणा पत्र		

9. अन्य संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण (प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करे)
....
....
....
10. हम सम्पुष्टि करते है कि हमारे द्वारा प्राईस बिड प्रस्तुत कर दी गई है

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर मय नाम

नोटः—1. उपरोक्त सारणी में दस्तावेज प्रस्तुत किये है अथवा नही, उसके आगे हॉं या नही उसके जारी होने की तिथि/वैद्यता अवधि अंकित करना आवश्यक है इसका उत्तरदायित्व निविदादाता का है इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

2. परिशिष्ठ 'अ' तकनिकी बिड है इसके साथ समस्त प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने है।

3. परिशिष्ठ ''ब''प्राईस बिड है, वह तकनिकी निविदा में सफल/ योग्य निविदादाताओं की ही खोली जावेगी।

4. इसमें सफल निविदादाताओं की प्राईस बिड खोलने की तिथि एवं समय की सूचना निविदादाताओं को उनके मोबाईल/ईमेल पर दे दी जायेगीं।

5. तकनीकी बिड, प्राईस बिड, दोनो को पृथक–पथक लिफाफे मे मोहर बन्द करके एक बडे लिफाफे मे बन्द किया जाये। तथा उस बडे लिफाफे पर व्यावसायिक विशेषज्ञों की सेवाये देने की निविदा लिखा जाये'' साथ ही तकनीकी बिड एवं प्राईस बिड जैसा भी लिफाफा हो तदानुसार अंकित किया जावे एवं फर्म का नाम भी लिखा जायें। उक्त लिफाफा कार्यालय में दिनांक 11.8.2016 को 1:00 बजे तक प्रस्तुत किया जाना है। अपूर्ण एवं विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

परिशिष्ठ –'ब'

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
विशेष योग्यजन विभाग, केम्वे गोल्फ के सामने, जामडोली, जयपुर
निविदा प्रपत्र – प्राइस बिड (स्टेज–II)

1. विषयः –व्यावसायिक विशेषज्ञों की सेवाये देने बाबत निविदा ।
2. निविदा करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का पता...
3. निविदा फर्म/ संवेदक का फोन एवं मोबाईल नं...
4. सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक–.6/2016–17 दिनांक ....
5. हम **अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह, विशेष योग्यजन विभाग, जामडोली जयपुर** द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या **6/2016–17** दिनांक......................में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट(इनके सभी पृष्टों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
6 आवासीयों के लिये व्यावसायिक विशेषज्ञों की सेवाये देने बाबत निविदा । हमारी दर निम्न प्रकार है:–

राशि(रूपयों में)

क्र. सं.	व्यावसायिक विशेषज्ञ	विजिट	योग्यतायें	दर प्रति विशेषज्ञ प्रति विजिट	सर्विस टैक्स/अन्य कर यदि कोई हो	सर्विस चार्ज	कुल योग प्रति विशेषज्ञ प्रति विजिट
1	2	3	4	5	6	7	(5+6+7) = 8
1.	क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट (Clinical Psychologist	2 घन्टे	मनोविज्ञान में एम.ए / एम.फिल/पी.एच.डी./एवं भारतीय पुनर्वास परिषद (R.C.I.)से रजिस्टर्ड				अंको मे .... शब्दो में ....
2	स्पेशल एजूकेटर (Special Educator)	6 घन्टे	डिप्लोमा इन स्पेशल एजूकेशन/ बी.एड. इन स्पेशल एजूकेशन एवं भारतीय पुनर्वास परिषद (R.C.I.) से रजिस्टर्ड (Mental Retardation)				अंको मे .... शब्दो में ....

6. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से 7 दिवस की अवधि के भीतर व्यावसायिक विशेषज्ञ उपलब्ध कराने होंगे।
7. उपर अंकित की गयी दरें एक वर्ष के लिये मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।
8. दरे शब्दो एवं अंको में दोनो रूप में लिखि जावें। दरो में काई त्रुटि एवं ऑवर राईटिंग नही की जावें।
9. यह प्राईस बिड है जो योग्य निविदादाता की ही खोली जायेगी। इसके साथ कुछ भी संलग्न नही किया जायें। इसको पृथक लिफाफें मे बन्द किया जाना है इसके साथ अन्य कोई दस्तावेज/डी.डी./बैंक ड्राफ्ट इत्यादि संलग्न नही करें। इस पर प्राईस बिड एवं निविदादाता का नाम एवं पता अंकित हो। इस लिफाफे को तकनीकी बिड के लिफाफे के साथ एक बडे लिफाफे में रख कर प्रस्तुत किया जाना है।
10. प्राईस बिड को भरते समय परिशिष्ठ अ,ब,स,एवं द की शर्तो को ध्यान में रखें किसी भी शर्त की अवहेलना पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
11. क्र.सं. 6 के सभी कालम्स की पूर्ति आवश्यक है किसी भी कालम को खाली नही छोडा जावें। खाली छोडे जाने की स्थिति मे राशि शून्य समझी जावेगी तथा सरकार को देय किसी भी तरह के कर के लिए निविदादाता स्वयं उतरदायी होगा।

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर मय नाम

प्रतिबन्ध एवं शर्ते

टिप्पणीः– निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदाये भेजते समय इन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये ।

1. निविदा भरने की प्रक्रियाः– परिशिष्ठ अ एवं ब तथा निविदा की विस्तृत शर्तो के अनुसार भरी जावें।
2. निविदाओ को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहर बन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिये तथा लिफाफे पर "व्यावसायिक विशेषज्ञों की सेवायें हेतु निविदा" अंकित करना होगा।
3. निविदादाता द्वारा दरें उचित स्थान पर अंकों एवं शब्दो दोनो में लिखी जानी चाहिये। **निविदा के प्रत्येक पृष्ठ एवं कांट छांट पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है।** शब्दो एवं अंको में अंकित दर में अन्तर होने पर शब्दो में अंकित दर को अधिकृत मानकर गणना में शामिल किया जायेगा। निविदा प्रपत्र बालपेन या टंकण से भरा जावे।
4. ऐजेन्सी/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदाओ पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।
5. संस्था/ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवायें जाने वाले व्यावसायिक विशेषज्ञों की सख्यां एवं योग्यता निम्नानुसार होगी।

क्र. सं.	व्यावसायिक विशेषज्ञ	अनुमानित संख्या	विजिट	योग्यतायें	अनुभव
1.	क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट (Clinical Psychologist	2	2 घन्टे	मनोविज्ञान में एम.ए. (विषय)/एम.फिल/पी.एच.डी. एवं भारतीय पुनर्वास परिषद (R.C.I.) से रजिस्टर्ड	दो वर्ष
2	स्पेशल एजूकेटर (Special Educator)	15 (10 महिला एवं 5 पुरूष)	6 घन्टे	डिप्लोमा इन स्पेशल एजूकेशन/ बी.एड. इन स्पेशल एजूकेशन एवं भारतीय पुनर्वास परिषद (R.C.I.) से रजिस्टर्ड (Mental Retardation)	दो वर्ष

6. उक्त में से 4 पुरूष व 4 महिलायें विशेष शिक्षको द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर में एस.बी.सिविल रिट पीटिशन संख्या 8024/2013, युगल किशोर लखेरा व अन्य बनाम सरकार आदि दायर कर रखी है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18.7. 2014 की पालना में पिटीशनरर्स को निविदादाता द्वारा विजिट बेसिस पर रखे जाने में वरीयता प्रदान की जायेगी। यह निविदा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 8024/2013 युगल किशोर लखेरा व अन्य बनाम सरकार आदि में पारित किये जाने वाले निर्णय के अध्यधीन होगी।
7. क्लिनिकल साईक्लोजिस्टः– आवासीय विमंदित बालक/बालिकाओं का आई.क्यु. टैस्ट संबंधित समस्त कार्य एवं व्यवहार सुधार कार्यक्रम इत्यादि कार्य किया जाना होगा तथा स्पेशल एजूकेटर(विशेष शिक्षक) को आवासियों का मूल्यांकन करना, प्रोग्राम सम्पादित, क्रियान्वयन करना और आवासियों का शैक्षणिक रिकॉर्ड संधारण आदि कार्य एवं अधीक्षक द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशानुसार करना इत्यादि कार्य करना है।
8. फर्म द्वारा उपलब्ध करायें गये व्यावसायिक विशेषज्ञो का रविवार सहित सभी राजपत्रित अवकाशो के दिन विजिट नही होगा। किन्तु आवश्यक परिस्थितियों मे अधीक्षक द्वारा आदेश दिये जाने पर इन दिवस में भी व्यावसायिक विशेषज्ञों को विजिट पर बुलाया जा सकेगा।
9. संस्था में आवासित बालक/ बालिकाओं की संख्या के आधार पर व्यावसायिक विशेषज्ञों की विजिट की संख्या कम व ज्यादा की जा सकती है।
10. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले विशेषज्ञ अपराधिक /नैतिक पतन के दोषी नही होने चाहिए।
11. निविदादाता को अनुमानित लागत राशि रू **1500000/–** का 2 प्रतिशत राशि रू. **30000/–** बयाना राशि (अर्नेस्टमनी) बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक के द्वारा अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह के नाम निविदा पत्र के साथ जमा करानी होगी। बिना बयाना राशि जमा कराये निविदा पर विचार नही किया जावेगा ।
12. **आयकर स्थायी खाता संख्य (पेन कार्ड) का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। श्रम विभाग के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति तथा सर्विस टैक्स का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। उसके बिना निविदा पर विचार नही किया जायेगा। सर्विस टैक्स के अन्तर्गत पंजीयन नही होने पर निविदाओ पर विचार नही किया जायेगा।**

13. **निविदादाता फर्म को संबंधित क्षैत्र में गत 1 वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम पन्द्रह लाख रूपये होना अनिवार्य है। इसके प्रमाण स्वरूप चार्टेड अकाउन्टेट का प्रमाण पत्र (जिसमें राशि का उल्लेख हो) निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, उसके बिना निविदा पर विचार नही किया जायेगा।**

14. निविदादाता द्वारा फर्म आदि के गठन के किसी भी परिर्वतन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अनुबन्धित फर्म/संस्था द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से,फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नही किया जावेगा। संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जावेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिये बाध्य नही हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी।

15. विधि मान्यता : निविदाये उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।

16 ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नही सौपेगा या उप भाडे (सबलैट) पर नही देगा।

17 निविदादाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

18 मोहर बंद निविदा प्रपत्र मय बयाना (अर्नेस्टमनी) राशि **30000/**–(अक्षरे तीस हजार मात्र) दिनांक **11.08.2016** को 1:00 बजे दोपहर तक अधीक्षक मानसिक विमंदित एवं बाल पुनर्वास गृह,, जयपुर के कार्यालय में रखे हुये टेण्डर बाक्स में पहुंच जानी चाहिये तकनीकी निविदाये उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक **11.08.2016** को दोपहर 2:00 बजे खोली जावेगी ।

19 असफल निविदादाताओ को बयाना (अर्नेस्टमनी) राशि एक माह मे (निविदा स्वीकृत होने की तिथि से) वापस कर दी जायेगी।

20. बयाना (अर्नेस्टमनी) राशि का समपहरणः– बयाना (अर्नेस्टमनी) राशि को निम्नलिखित मामलो में समपहृत कर लिया जायेगाः–

I जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, उसमें रूपान्तरण करता है।

Ii जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नही करता हो।

Iii जब निविदादाता ठेके के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नही कराता हो।

Iv जब वह विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारभ करने में असफल रहता हो।

V यदि बोली लगाने वाला राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम और नियमो के अध्याय –6 में विर्निदिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्य निष्ठा की संहिता के किसी उपबन्ध को भंग करता है

21. . करार एवं प्रतिभूति निक्षेपः–

i सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार 1000 /–रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिस कार्य के लिये निविदाये स्वीकार की गई है। उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनाक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 7 दिवस के भीतर जमा करायी जायेगी।

ii निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना (अर्नेस्टमनी) राशि को प्रतिभूति की राशि कि लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दिशा में बयाना राशि से कम नही होगी।

iii प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

iv प्रतिभूति राशि अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जयपुर के नाम देय होगी।

v प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगेः–

(क) बैक ड्राफ्ट /बैकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति।
(ख) डाकघर बचत बैक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगा।
(ग) अल्प बचतो को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओ के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेटस, किसान विकास पत्र या अन्य कोई स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हे गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जावेगा।

Vi करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

Vii प्रतिभूति राशि, ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया/वसूली नही है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।

22 प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नालिखित मामलो में समपहत कर लिया जावेगा :-

I जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

ii जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

iii प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

23. ठेकेदार द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर /कार्य सन्तोषजनक नही पाये जाने/ अनुपस्थित रहने पर निविदादाता की जोखिम पर स्थानीय बाजार से कार्य करवाया जा सकेगा तथा अधिक व्यय की राशि निविदादाता के बिलो/ प्रतिभूति राशि से वसूल किया जावेगा। साथ ही उसे 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा तथा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

24 ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई त्रृटि पायी जाने पर निविदा को रदद करने का अधिकार अधीक्षक को होगा।

25. सरकार द्वारा विहित सेवा कर (सर्विस टैक्स) एवं अन्य सभी कर आदि फर्म द्वारा ही वहन किये जावेगे।

26. भुगतानः-भुगतान अग्रिम नही किया जायेगा। जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, कार्य के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

27. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है, जो उसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रदद कर दिया जावेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्ते को स्वीकार किया हुआ नही समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

28. क्रय समिति किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है,स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रदद करने या जिन कार्यो के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

29. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नालिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः-

i यदि भागीदारी फर्म हो तो भगीदारी विलेख की एक अभिप्रमाण्ति प्रति।

ii यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

iii कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

30. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तो के उल्लघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारो द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी को नियुक्त करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंद्व नही होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा एवं मान्य होगा।

31. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में जिला न्यायालय में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नही की जायेगी।

32. फर्म/संवेदक द्वारा नियुक्त कर्मचारी को पारिश्रमिक का भुगतान निविदा में अंकित राशि का करना होगा। निविदादाता स्वयं की सेवाओ को सर्विस चार्जेज के रूप मे पृथक से प्राईस बिड में दर्शायेगा।

33. प्रभावी होने पर न्यूनतम मजदूरी/ पी.एफ./ई.एस.आई. व अन्य राजकीय अधिनियम की पालना सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी फर्म/ संवेदक की होगी। तथा संबंधित की कटौती के जमा के चालान की प्रति मागें जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।

34. व्यावसायिक विशेषज्ञों कीं उपस्थिति कार्यालय के प्रभारी /कर्मचारी के पास उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज करानी होगी। संवेदक द्वारा नियुक्ति से पूर्व व्यावसायिक विशेषज्ञों के निवास स्थान/स्थायी पते का पूर्ण विवरण(आई.डी.सहित) उपलब्ध कराना होगा एवं अपने व्यावसायिक विशेषज्ञों को पहचान पत्र एवं फोटो उपलब्ध कराना होगा। बिना पहचान पत्र विमंदित गृह में प्रवेश नही दिया जायेगा। विमंदित गृह में उपलब्ध कराये जाने वाले व्यावसायिक विशेषज्ञों का एक माह में पुलिस वेरिफिकेश करवाया जाना होगा।

35. व्यावसायिक विशेषज्ञों को अधीक्षक के आदेशानुसार निर्धारित रंग का एवं संवेदक फर्म का नाम लिखा हुआ एप्रिन पहनना अनिवार्य होगा। एप्रिन फर्म को उपलब्ध कराना होगा।

36. अधीक्षक/निरीक्षक कमेटी/ उच्चधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय फर्म से संबंधित कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने अथवा कार्य सन्तोषजनक नही पाये जाने पर/ व्यावसायिक विशेषज्ञ द्वारा विजिट पद नही आने पर 200/– प्रति विशेषज्ञ प्रति विजिट की कटौती एक बार में की जावेगी।

37. व्यावसायिक विशेषज्ञों का कार्य सन्तोषजनक नही होने पर अधीक्षक के आदेश पर व्यावसायिक विशेषज्ञों को बदलने होगें,

38. ठेके की अवधि एक वर्ष तक होगी फर्म का कार्य सन्तोषजनक पाया गया तो ठेका आपसी सहमति पर 6 माह के लिये उन्ही शर्तो एवं दरो पर बढाया जा सकेगा, जिसके लिये संवेदक बाध्य होगा।

39. परिवहन भत्ता/ आने जाने का खर्चा संस्था द्वारा वहन नही किया जायेगा।

उपरोक्त कार्य संबंधी शर्तें, मैनें पढ़ ली है, ओर स्वीकार किया है।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

परिशिष्ठ–द

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/ हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन मामलों सामानों/उपकरणों/सेवाओं/के लिये निविदा दी है उनका/उनके/ मै बोनाफाइड विनिर्माता/ थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/ सोल विक्रय विपणन एजेण्ट/ व्यवसायी हूँ।

यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव ड़ाले बिना, मेरी/ हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है,रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम व पता